



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16072026-274570
CG-DL-E-16072026-274570

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3762]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 16, 2026/आषाढ 25, 1948

No. 3762]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 16, 2026/ASHADHA 25, 1948

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2026

(आयकर)

का.आ. 3926(अ).— जबकि, आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचने और राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य और श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य की सरकार के बीच करार में संशोधन करने वाले एक प्रोटोकॉल पर दिनांक 16 दिसंबर, 2024 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए, जैसा कि इस अधिसूचना के अनुबंध(एतश्मिन् पश्चात् प्रोटोकॉल के रूप में संदर्भित) में दर्शाया गया है।

और जबकि, उक्त प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 3 के पैराग्राफ 2 में दिए गए प्रावधान के अनुसार यह उक्त संविदाकारी राज्यों द्वारा उनके अपने-अपने कानूनों की दृष्टि से यथा आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा किए जाने की अधिसूचनाओं के जारी होने की तारीख से 30 वें दिन से लागू होगा;

और जबकि, उक्त प्रोटोकॉल 19 जून, 2026 को लागू हुआ, क्योंकि यह उक्त प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 3 के पैराग्राफ 2 के अनुसार, उक्त प्रोटोकॉल के लागू होने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करने की अधिसूचनाओं के जारी होने की तारीख से बाद का निर्धारित दिवस था।

और जबकि, उक्त प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 3 के पैराग्राफ 3 में यह प्रावधान है कि उक्त प्रोटोकॉल के प्रावधान भारत में उस कैलेंडर वर्ष, जिसमें इस करार को लागू किया गया हो, के तत्काल बाद आने वाले अप्रैल के पहले दिन या उसके बाद प्रारम्भ होने वाले किसी राजकोषीय वर्ष में उद्भूत आय के संबंध में लागू होंगे।

अब, आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 159 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा, अधिसूचित करती है कि उक्त प्रोटोकॉल के सभी प्रावधान, जैसा कि यहां संलग्न है, भारत संघ में प्रभावी होंगे।

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजकोषीय अपवंचन को रोकने के लिए

भारत गणराज्य की सरकार

और

श्री लंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य की सरकार

के बीच करार में संशोधन प्रोटोकॉल

भारत गणराज्य की सरकार और श्री लंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य की सरकार,

दिनांक 22 जनवरी, 2013 को भारत में हस्ताक्षरित, आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजकोषीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और श्री लंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य की सरकार के बीच करार (जिसे इसके बाद कहा गया है "करार") में संशोधन करने के लिए प्रोटोकॉल का समापन करने की इच्छा से,

इस प्रकार सहमत हुई हैं:

अनुच्छेद 1

इस करार की प्रस्तावना को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"भारत गणराज्य की सरकार और श्री लंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य की सरकार, आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजकोषीय अपवंचन को रोकने के लिए तथा दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने की दृष्टि से एक करार निष्पन्न करने की इच्छा से :

कर अपवंचन अथवा परिहार के द्वारा गैर-कराधान अथवा कम कराधान हेतु अवसर उत्पन्न किए बिना इस करार में शामिल करों के सम्बंध में दोहरे कराधान को समाप्त करने के इरादे से (तीसरे राज्यों के निवासियों को अप्रत्यक्ष लाभ हेतु इस करार में प्रदत्त छूटों को प्राप्त करने के उद्देश्य से संधि-खरीदारी की व्यवस्था के माध्यम सहित);

इस प्रकार सहमत हुई हैं:"

अनुच्छेद 2

करार के अनुच्छेद 28 के मौजूदा पैराग्राफ 6 को हटाया जाएगा और निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“6. इस करार के अन्य उपबंधों के बावजूद, इस करार के अंतर्गत आय के किसी मद के संबंध में कोई लाभ नहीं दिया जाएगा यदि सभी संगत तथ्यों तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह मानना समुचित हो कि इस प्रकार का लाभ हासिल करना ही किसी समझौते अथवा संव्यवहार के मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य ही था जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः वह लाभ प्राप्त हुआ है, जब तक कि यह सिद्ध नहीं होता हो कि इन परिस्थितियों में उस लाभ का प्रदान किया जाना इस करार के संगत उपबंधों के लक्ष्य तथा उद्देश्यों के अनुसार होगा।”

अनुच्छेद 3

1. संविदाकारी राज्य इस प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए अपने-अपने कानूनों के अंतर्गत अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए राजनयिक माध्यमों से लिखित रूप में एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे।
2. यह प्रोटोकॉल इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित अधिसूचनाओं में से बाद वाली अधिसूचना की तारीख के तीसवें दिन लागू होगा।
3. इस प्रोटोकॉल के लागू होने के बाद इसके प्रावधानों का निम्नलिखित प्रभाव होगा:

(क) भारत में:

जिस कैलेंडर वर्ष में यह करार लागू होता है उसके अनुवर्ती कैलेंडर वर्ष के अप्रैल माह की पहली तारीख को अथवा इसके बाद आरम्भ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्त की गई आय के संबंध में; और

(ख) श्री लंका में:

जिस कराधेय वर्ष में यह करार लागू होता है उसके अनुवर्ती कैलेंडर वर्ष के अप्रैल माह की पहली तारीख को अथवा इसके बाद आरम्भ होने वाले किसी कर योग्य वर्ष में प्राप्त की गई आय के संबंध में।

4. यह प्रोटोकॉल तक प्रभावी रहेगा जब तक करार के लागू रहता है।

जिसके साक्ष्य में अपनी संबंधित सरकारों द्वारा इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत होकर, अधोहस्ताक्षरी ने इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए।

नई दिल्ली में वर्ष 2024 के दिसम्बर माह के 16वें दिन हिन्दी, सिंहल और अंग्रेजी में दो मूल प्रतियों में निष्पादित किया गया, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक। पाठों में भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा।

भारत गणराज्य की सरकार के लिए

श्री लंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य की सरकार के लिए

[सं. 88 /2026/फा.सं. 503/8/2005-एफटीडी-II]

भास्कर गोस्वामी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th July, 2026

(Income-Tax)

S.O. 3926(E).— Whereas, a Protocol amending the Agreement between the Republic of India and the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, was signed at New Delhi on the 16th day of December, 2024, as set out in the Annexure to this notification (hereinafter referred to as the said *Protocol*);

And whereas, paragraph 2 of Article 3 of the said Protocol provides that it shall enter into force on the thirtieth day after the date of the later of the notifications by the said contracting states of the completion of the procedures required by their respective laws;

And whereas, the date of entry into force of the said Protocol is the 19th day of June, 2026, being the date of the later of the notifications of the completion of the procedures required for giving effect to the said Protocol in accordance with paragraph 2 of Article 3 of the said Protocol;

And whereas, paragraph 3 of Article 3 of the said Protocol, *inter alia*, provides that the provisions of the said protocol shall have effect in India in respect of income derived in any fiscal year beginning on or after the first day of April next following the calendar year on which the Agreement enters into force;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 159 of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025), the Central Government hereby notifies that all the provisions of said Protocol, as annexed hereto, shall be given effect to in the Union of India.

ANNEXURE**PROTOCOL****AMENDING THE AGREEMENT****BETWEEN****THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA****AND****THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA****FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME**

The Government of the Republic of India and the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka,

Desiring to conclude a Protocol to amend the Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, signed in India on the 22nd day of January, 2013 (hereinafter referred to as "the Agreement").

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

The Preamble of the Agreement shall be replaced by the following:

“The Government of the Republic of India and the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and with a view to promoting economic cooperation between the two countries;

Intending to eliminate double taxation with respect to the taxes covered by this Agreement without creating opportunities for non-taxation or reduced taxation through tax evasion or avoidance (including through treaty-shopping arrangements aimed at obtaining reliefs provided in this Agreement for the indirect benefit of residents of third States);

Have agreed as follows:”

ARTICLE 2

The existing paragraph 6 of Article 28 of the Agreement shall be deleted and replaced by the following:-

“6. Notwithstanding the other provisions of this Agreement, a benefit under this Agreement shall not be granted in respect of an item of income if it is reasonable to conclude, having regard to all relevant facts and circumstances, that obtaining that benefit was one of the principal purposes of any arrangement or transaction that resulted directly or indirectly in that benefit, unless it is established that granting that benefit in these circumstances would be in accordance with the object and purpose of the relevant provisions of this Agreement.”

ARTICLE 3

1. The Contracting States shall notify each other in writing, through diplomatic channels, the completion of the procedures required by the respective laws for the entry into force of this Protocol.

2. This Protocol shall enter into force on the thirtieth day after the date of the later of the notifications referred to in paragraph 1 of this Article.

3. The provisions of the Protocol shall thereupon have effect:

(a) in India:

In respect of income derived in any fiscal year beginning on or after the first day of April next following the calendar year in which the Agreement enters into force; and.

(b) in Sri Lanka:

In respect of income derived in any taxable year beginning on or after the first day of April next following the calendar year in which the Agreement enters into force.

4. This Protocol shall remain in effect as long as the Agreement remains in force.

In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.

DONE in duplicate at New Delhi on this 16th day of December 2024 each in the Hindi, Sinhala and English languages, all the texts being equally authentic. In case of divergent interpretation of the texts, the English text shall prevail.

**FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF INDIA**

**FOR THE GOVERNMENT OF THE
DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF
SRI LANKA**

[No. 88 /2026/F. No. 503/8/2005-FTD-II]

BHASKAR GOSWAMI, Jt. Secy.